MFI

भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय

RESERVE BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION

KOLKATA REGIONAL OFFICE

भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA

पंजीकरण प्रमाण पत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION

(जनता की जमाराशियां स्वीकार करने के लिए वैध नहीं)

(Not valid for accepting Public Deposits)

संख्या
No. **B-05.07083**

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झ क के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **आसा इंटरनॅशनल इंडिया माइक्रोफिनॅन्स लिमिटेड** को

दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर जनता से जमाराशियां स्वीकार किये बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंभ करने / करते रहने के लिए यह

पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934

ASA INTERNATIONAL INDIA MICROFINANCE LIMITED

is hereby granted

Certificate of Registration

to commence / carry on the business of non-banking financial institution without accepting public deposits subject to the conditions given on the reverse.

मेरे हस्ताक्षर के अधीन कोलकाता दो हज़ार उन्नीस के मई की अठाईस तारीख को जारी किया गया।

Given under my hand at KOLKATA this Twenty Eight day of May Two Thousand Nineteen

भारतीय रिज़र्व बैंक गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग DEPARTMENT OF NON BANKING SUPERVISION RESERVE BANK OF INDIA, KOLKATA

(अभिजीत मजूमदार/Abhijit Majumdar)

Amajumdar

(महा प्रबंधक / उप महा प्रबंधक)

General Manager / Deputy General Manager

In lieu of COR. NO. B-06.00236 dt. 24.11.2016 issued by Chandigarh R.O.

भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA

शर्तें / Conditions

1. पंजीकरण प्रमाणपत्र अथवा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि आपकी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में तथा अन्य कार्यालयों, शाखाओं में, यदि कोई हों, प्रदर्शित की जायेगी।	1. The Certificate of Registration or a certified copy thereof shall be kept displayed at the Registered Office and other offices, branches, if any, of your company.
2. आपकी कंपनी को पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III बी के अंतर्गत निर्धारित समस्त शर्तों तथा मानदंडों का निरंतर पालन किये जाने की शर्त के अधीन जारी किया जा रहा है।	2. The Certificate of Registration is issued to your company subject to your continued adherence to all the conditions and parameters stipulated under Chapter III B of the Reserve Bank of India Act, 1934.
3. आपकी कंपनी को बैंक द्वारा जारी तथा उस पर यथालागू निदेशों, दिशानिर्देशों / अनुदेशों, आदि की अपेक्षाओं का पालन करना होगा।	3. Your company shall be required to comply with all the requirements of the Directions, guidelines / instructions, etc. issued by the Bank and as applicable to it.
4. यदि आपकी कंपनी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विज्ञापनों आदि में यह दर्शाना चाहती है कि उसके पास भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र है तो इस तरह के विज्ञापन में निम्नानुसार विवरण अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिये :- "कंपनी के पास भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झ क के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक __________ का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र है। तथापि भारतीय रिज़र्व बैंक कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता की वर्तमान स्थिति अथवा कंपनी द्वारा दिये गये किसी विवरण अथवा प्रतिवेदन अथवा व्यक्त की गयी किसी राय की सत्यता के लिए और कंपनी द्वारा जमाराशियों की अदायगी / देयताओं के उन्मोचन के लिए कोई जिम्मेदारी अथवा गारंटी स्वीकार नहीं करता।"	4. If your company desires to indicate directly or indirectly in any advertisement, etc. that the company is having a Certificate of Registration issued by the Reserve Bank of India, such advertisement should invariably contain a statement as under : "The company is having a valid Certificate of Registration dated May 28, 2019 issued by the Reserve Bank of India under Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. However, the RBI does not accept any responsibility or guarantee about the present position as to the financial soundness of the company or for the correctness of any of the statements or representations made or opinions expressed by the company and for repayment of deposits / discharge of liabilities by the company."
5. @आपकी कंपनी को जनता की जमाराशियां स्वीकार करने / रखने की अनुमति नहीं है।	5@. Your company is not allowed to accept / hold public deposits.
6. *आपकी कंपनी को जनता से फिलहाल कोई भी जमाराशि स्वीकार नहीं करनी चाहिए। दो वर्ष की अवधि तक परिचालन में रहने के बाद यदि कंपनी जनता से जमाराशियां जुटाना चाहे तो वह दो वर्ष के लेखा-परीक्षित तुलन पत्र और किसी मान्यता प्राप्त साख निर्धारण एजेंसी से मीयादी जमाराशियों के लिए साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) के साथ बैंक से अनुरोध कर सकती है। आपकी कंपनी हमसे विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही जनता की जमाराशि स्वीकार करेगी।	6*. Your company must not accept any public deposits for the time being. After the company has been in operation for a period of two years, if it intends to raise public deposits, it may approach the Bank with the audited Balance Sheets for two years and a credit rating for fixed deposits from one of the recognised rating agencies. Your company will accept public deposits only after obtaining specific approval from us.
7. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में कारोबार प्रारंभ करने की तारीख से बैंक को अवगत कराया जाये।	7. The date when your company has commenced business as a non-banking financial institution may be advised to the Bank.
@ उन कंपनीयों पर लागू, जिन्हें उनके बोर्ड के इस संकल्प के आधार पर पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमति के बिना जनता की जमाराशियां स्वीकार न करें। * जनवरी 9, 1997 को या उसके बाद निगमित नयी कंपनियों पर लागू।	@ Applicable to companies, to whom Certificate of Registration has been issued on the basis of their Board Resolution not to accept public deposits without prior written permission of RBI. * Applicable to new companies incorporated on or after January 9, 1997

22593